

कार्यालय नगर परिषद सांची, जिला रायसेन (म.प्र.)  
निविदा-सूचना



क्रमांक / 686 / जल शा. / 2026


सांची, दिनांक 14.05.2026

नगर परिषद सांची द्वारा निम्नलिखित सामग्री कय हेतु ई निविदा का आमंत्रण किया गया है। जिसका

विवरण निम्नानुसार है।


क्र.सं./ दि.	निविदा क्र.	निविदा क्रम	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	अमानत राशि	देकेदार की श्रेणी	सामग्री प्रदाय करने की अवधि	निविदा प्रपत्र की कीमत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686 14.05.2026		Second call	निकाय क्षेत्रांतर्गत विभिन्न वाडो में जलपदाय हेतु जी. आई पाईप लाईन विस्तार कार्य। 6.1.6 50 एम.एम. डाय हेवी-200 मीटर एवं 6.1.8 80 एमएम. डाय हेवी-500 मीटर	₹73200.00	4700.00	अधिकृत विकेता / रपलायरी	7 दिवस	1000.00

निविदा प्रपत्र कय डाउनलोड करने एवं निविदा से संबंधित समस्त शर्तों एवं जानकारी [www.mptender.gov.in](http://www.mptender.gov.in) से एवं नगर परिषद सांची की जल शाखा से प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद किसी प्रकार का संशोधन होने पर वेबसाइट पर या कार्यालय से जानकारी प्राप्त होगी संशोधन का प्रकाशन समाचार पत्र में नहीं किया जावेगा।

  
मुख्य नगर पारिषदाधिकारी  
नगर परिषद सांची

प्रतिलिपि:-

स्थानीय संवादाता दैनिक समाचार पत्र ..... की और भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कम से कम स्पेश में कराकर प्रकाशित समाचार पत्र की 02 प्रतियों व बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

  
मुख्य नगर पारिषदाधिकारी  
नगर परिषद सांची

क्रमांक./सां.प्र./तक.स्वी./पाईप लाईन/26/13

भोपाल, दिनांक - 06/03/26

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
नगर परिषद सीधी  
निकाय-सांख्यिकी


विषय:- निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों में जलप्रदाय हेतु जी.आई. पाईप लाईन विस्तार कार्य की तकनीकी स्वीकृति।  
संदर्भ:- आपका पत्र क्रं. 316 दिनांक 27.02.2026.

विषयान्तर्गत, संदर्भित पत्र के द्वारा निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों में जलप्रदाय हेतु जी.आई. पाईप लाईन विस्तार कार्य हेतु प्रस्तुत प्रायश्चित्त का परीक्षण किया गया। निकाय द्वारा कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जावे। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्राप्त की जावे। परीक्षण उपरान्त MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 238 के अनुसार पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्रं.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों में जलप्रदाय हेतु जी.आई. पाईप लाईन विस्तार कार्य।	न.पा. निधि/अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस. एस.आर. दिनांक 02.08.2021 से प्रभावशील	4,73,200.00
			जी.एस.टी. 18%	85,176.00
			कुल योग	5,58,376.00

शर्त:-

1. (MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्रावधान अनुसार नकद प्रदान की स्वीकृति प्राप्त की जावे।
2. (MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अर्नेन्ट मनी एवं प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत या नामग्री य मात्र के अनुमानित मूल्य को जमा कराई जावे।
3. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।
4. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1971 के नियम 131 के उपनियम (3) के खण्ड (दो) के प्रावधान अनुसार नकद प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
5. म.प्र. न.पा. (प्रिजेंट-जन-कौन्सिल के कामकाज का संचालक तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 का नियम 5 (5)(एक)(ग्यारह) के प्रावधानों अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।
6. पाईप लाईन विस्तार में स्थल की आवश्यकता के अनुरूप समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जावे, जिसमें पाईप लाईन को भविष्य में किसी प्रकार की क्षति नहीं होने पावे।
7. स्थल पर दैनिक रूप से समझा कार्य के का ही सुगमता किया जावे।
8. कार्य की प्रगति प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रण की जायेगा।
9. कार्य (नकद/अर्नेन्ट मनी) में नहीं किया जायेगा, यदि कार्य सम्पादित किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा एवं की गयी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त भारी जावेगी।
10. सीवर लाईन विस्तार हेतु स्थल की आवश्यकता के अनुरूप समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जावे, जिसमें सीवर लाईन को भविष्य में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होने पावे।

  
06/03/26  
कार्यपालन यंत्री

नगरीय प्रशासन एवं विकास,  
भोपाल संभाग, भोपाल


**OFFICE OF NAGAR PARISHAD SANCHI DIST. RAISEN (M.P.)**


NAME OF WORK - LAYING OF GI PIPE LINE

SITUATION OF WORK - DIFFERENT WARD OF NAGAR PARISHAD SANCHI

(I.S.S.R.W.E.F 2 AUG 2021)									
S.N	PARTICULAR ITEM	NO.	LENG III	WIDT II	THD	QUNT.	UNIT	RATE	AMOUNT
1	6.1 Providing laying and jointing of galvanised Iron Pipes with specials (such as bends, elbows, tees etc) class light, medium & heavy including testing of joints, cost of pipes, specials and jointing materials all complete								
	6.1.6 50mm dia Heavy	1	200			200	CUM	471	94200
2	6.1.8 80mm dia Heavy	1	500			500	CUM	758	379000
							TOTAL		473200
							ADD 18%GST		85176
							GRAND TOTAL		558376

  
 MUNICIPAL COUNCIL SANCHI  
 66 DISTRICT RAISEN

  
 SUB ENGINEER  
 MUNICIPAL COUNCIL SANCHI  
 DISTRICT RAISEN

TECHNICAL SANCTION AS PER CONDITIONS, Vide  
 Letter No. 13 Dated 06/03/26 For  
 Construction of विमान मार्ग के वायुमार्ग  
के एन मार्ग मार्ग विमान मार्ग  
 at word No. .... Granted for Rs. 5,58,376/-  
 in words पाँच लाख अठ्ठावन हजार मात्र  
को उद्देश्य के लिए  
 Checked by   
 Executive Engineer  
 Urban Administration &  
 Development, Bhopal Division

# कायोलय नगर परिषद, सांची जिला-रायसेन (M.P.)

E-mail: [enquiries@nagarparishad.gov.in](mailto:enquiries@nagarparishad.gov.in), Phone No. 07787 242133

क्रमांक / 336 / लो.नि.शा. / न.परि. / 2026

सांची, दिनांक 07/08/2026

प्रति,

श्रीमान नगरपालन यंत्री महाशय  
नगरीय प्रशासन एवं विकास  
भोपाल संभाग, भोपाल

विषय :- नगर परिषद सांची के विभिन्न वार्डों में जलप्रदाय हेतु जी.आई. पाईप लाईन विस्तार हेतु तकनीकी रीतिकृति प्रदान करने के संबंध में।

— 00 —


उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि नगर परिषद सांची के विभिन्न वार्डों में जलप्रदाय हेतु जी.आई. पाईप लाईन विस्तार कार्य किया जाना है। जिसकी प्राक्कलन कीमत रु. 5,58,376/- (जीएसटी. सहित) है।


अतः निवेदन है कि प्राक्कलन अनुसार उक्त कार्य की तकनीकी रीतिकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न :- प्राक्कलन।

पृ.क्र. / 316 / लो.नि.शा. / न.परि. / 2026  
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगर परिषद सांची  
(निर्माण शाखा)  
सांची, दिनांक 07/08/2026

  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगर परिषद सांची  
नगर परिषद सांची